



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 160-2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020 (KARTIKA 6, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अक्टूबर, 2020

संख्या 92/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इस अधिसूचना में इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 168 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य कर आयुक्त, इसके द्वारा, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रुपये तक का होने वाले कर दाताओं के लिए, अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 तक के प्रत्येक मास के लिए उक्त नियमों के प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के चौबीसवें दिन को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

2. **प्ररूप-जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए करें का संदाय.**— उक्त नियमों के प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्तिम तिथि के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी फाईल करना अपेक्षित है, जैसा कि प्रथम पैरा में विनिर्दिष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता, जैसी भी स्थिति हो, के विकलन करते हुए कर के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा और ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य राशि के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता के विकलन करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

शेखर विद्यार्थी,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त-कम-राज्य,
कर आयुक्त, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 28th October, 2020

No. 92/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner of State Tax, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from October, 2020 to March, 2021, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month:

Provided that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the previous financial year, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-fourth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.** – Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of Section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be and his liability towards interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

SHEKHAR VIDYARTHI,
Excise & Taxation Commissioner-cum-
Commissioner of State Tax, Haryana.